न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मु0नं0 34/2019 तारीख रजू:– 27.05.2019

01 धनसिह } पिसरान देवीराम
02 जगमोहन }
03 शकुन्तला } पुत्रिया देवीराम
04 सावित्री }

जाति जाटव निवासी चिम्मन का पुरा पटोदा तहसील हिण्डौन जिला करौली :– अपीलान्टस

बनाम

01 तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

02 शाखा प्रबन्धक शाखा बैक ऑफ बडौदा श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली :–रेपोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश अदालत मातहत तहसीलदार तहसील हिण्डौन आ.ता0 31.12.2018 आदेश कमाक भू अभिलेख/2018/2563

उपस्थिति_01 श्री अशोक नीमनका वकील अपीलान्टस

02 पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 20.11.2019

यह अपील अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 31.12.2018 से अप्रशन्न होकर बताया गया है कि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता देवीराम ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 414,415,417,418,419,421,422,423,424, 425,हिस्सा 1/4 व 440,441,426,4428,429,430,442,435,436,437,438,439, मे हिस्सा 1/32 तथा 449 हिस्सा 1/2 ,403 हिस्सा पूर्ण, वाके ग्राम पटौता को गिरबी रखकर विपक्षी संख्या 02 की शाखा से ऋण लिया गया था। अपीलान्ट के पिता पति का वर्ष 2009 मे देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम नामान्तकरण खोलने का आवेदन पटवारी हल्का को पेश किया गया जिस पर अपीलान्ट के हक मे खसरा नम्बर 414,415,417,418,419,421,422,423,424, 425,हिस्सा 1/4 व 440, 441 ,426,4428, 430,429,,442,435,436,437,438,439, मे हिस्सा 1/32 तथा 449 हिस्सा 1/2 ,403 हिस्सा पूर्ण, का नामान्तकरण तस्दीक किया गया अपीलान्ट द्वारा बाद नामान्तकरण विपक्षी बैंक से ऋण की केसीसी के लिऐ आवेदन किया जिसपर रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 द्वारा विचार कर अपीलान्ट को दो केसीसी के लॉन जारी किये गये जिन पर 1,50,000–1,50,000/– रूपये के किये गये थे जिनके खाता संख्या 5/613 श्रीमति प्रेमवाई पत्नि देवीराम और ज्ञानसिह,हरिलाल पिसरान देवीराम लखनवाई पुत्री देवीराम खाता संख्या 5/614 ध्यानसिह उर्फ धनसिह ,जगमोहन पिसरान देवीराम संकुन्तला,सावित्री पुत्रिया देवीराम के दिनांक 14.09.2012 को जारी किये गये। अपीलान्ट के द्वारा राशि जमा ना कराने के कारण बैंक ने ए.पी.ए कर दिये गये। एवं अपीलान्ट पर तकाजा चलता आ रहा तो अपीलान्ट द्वारा शाखा प्रबन्धक से कहा गया कि हम लोग एक–एक खाते को जमा नही करायेगें क्योकि इस प्रकार हम जमा नही करा सकते तो शाखा प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि अगर आप लोग सभी खातो को एक साथ जमा करा देते है तो समझौता योजना मे लेकर खाते जमा करा सकता हूँ अपीलान्ट ने इस बात पर सहमत हो गये और बैंक शाखा प्रबन्धक को सभी खातो को एक मुस्त जमा कराने के लिऐ 4,000000 /–रूपये जमा कराने को कहा तो अपीलान्ट ने जमा कराने का निवेदन किया जब हमारे तीन लोन भैसो के ओर है जिनमे बीमा कम्पनी द्वारा भी राशि जमा करा दी गई है। बाकी बची बकाया राशि को भी 4,000000/– रूपये मे समलित कर अथात 6 लोन 01 टैक्टर 02 दो के.सी.सी 03 तीन लोन भैसो के तो शाखा प्रबन्धक उक्त बात पर तैयार हो गये। और अपीलान्ट द्वारा मुताबिक समझौता के 1,65,000 /–रूपये घर पर 2,35,000/–रुपये बैंक मे जमा कराये और अपीलान्ट को जमा कराने की रसीद नही दी गई। और कहा गया कि आपको रसीद से क्या मतलब एक माह बाद नोडज्यूज सभी लोगो का ले जाना और शाखा प्रबन्धक ने सभी का रहन मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया और पुनः विजय बैंक शाखा काचरौली से अपीलान्टी ने के.सी.सी का ऋण ले लिया दिनांक 20.4.2018 को विपक्षी बैंक द्वारा अपीलान्ट के नाम कृषि भूमि पर द्वितीय

भार दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डौन को भेजा गया जिसको प्राप्त करने पर पता चला तो अपीलान्ट शाखा प्रबन्धक के पास जाकर सम्पर्क किया तो मालूम हुआ कि शाखा प्रबन्धक ने 6 मे से 5 खातो को जमा कर लिया गया है एक खाते को जमा नही किया गया है। जिसमे 4,000000/–रुपये मे से 1,65,000 /–रुपये जमा नही किये गये और एक खाते को समझौता योजना मे बंद नही किया गया और बताया गया कि आपके द्वारा 2,35,000 /–रुपये ही जमा किये गये है। घर पर दी गई राशि जिसे शाखा प्रबन्धक ने अपनी जेंब मे रख लिया गया है। शाखा प्रबन्धक ने सम्पूर्ण खातो का नोडज्यूज कैसे जारी कर दिया गया इस प्रकार से बैंक द्वारा अपीलान्ट के साथ घोखा धडी की गई जिसके लिऐ बैंक जिम्मेदार है। जिसकी एफ.आईआर सख्या 96/2018 थाना श्रीमहावीरजी पर दर्ज कराई गई थी जिसमे अभी अनुसंधान चल रहा है। और बैंक प्रबंधक की शिकायत उच्च अधिकारियो को भी की गई। बैंक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि राजस्व कर्मचारियो की गलती से भूमि से रहन हटा दिया गया है। जबकि बास्तविकता यह है अपीलान्ट द्वारा समस्त राशि जमा कर दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय को किसी भूमि को एक बार रहन मुक्त होने के बाद बिना ऋण लिये बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के प्रार्थीगण अपीलान्ट को आराजीयात को रहन का नोट डालना कोई अधिकार नही है। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य रहन का कोई करार उस समय तकमील तस्दीक नही किया गया अपीलान्ट पर बैंक का कोई बकाया ऋण नही है। बिना किसी आधार पर कथा कथिक ऋण की बसूली का दावा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

उभय पक्षकार अभिभाषक व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन मे अपील मीमो को दौहराते हुये कथन कहा कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 6 खातो पर विभिन्न प्रकार के कृषि ऋण आदि लिये गये थे जो बाद मे एन. पी.ए होने पर शाखा प्रबन्धक द्वारा समझौता योजना के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कराकर शाखा प्रबन्धक एवं अपीलान्ट के मध्य 4,000000/–रुपये मे समस्त ऋणो का समझौता हुआ जिसमे 1,65,000/–रुपये शाखा प्रबन्धक को घर पर तथा 2,35,000/–रुपये बैंक शाखा मे ततसमय जमा कराकर एक माह बाद बैंक प्रबन्धक द्वारा रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अन्य बैंक विजया बैंक शाखा काचरौली से पुनः कृषि ऋण लिया गया तब जाकर पता चला कि पूर्व बैंक प्रबंन्धक द्वारा मा 4,000000/–रुपये मे से 2,35,000/–रुपये जमा कर नोडज्यूज जारी कर दिया गया है और 6 खातो मे से 1 खाता बकाया रख दिया गया है। इस बाबत अपीलान्ट ने थाना श्रीमहावीरजी मे शाखा प्रबन्धक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है जिसका अनुसंधान जारी है। और इसके अतिरिक्त शाखा प्रबन्धक के खिलाफ उच्च अधिकारियो को भी शिकायत की हुई है। जब अपीलान्ट द्वारा आपसी समझौता योजना के तहत समस्त राशि जमा कराकर रहन मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। तो बिना ऋण लिये ही भूमि को कैसे रहन रखा गया है जो कानून के विरूद्व है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन मे कहा गया कि अपीलान्ट द्वारा समझौता के तहत सम्पूर्ण राशि जमा नही कराई गई है। राजस्व कर्मियो भूल के कारण समस्त खाता रहन मुक्त कर दिया गया है। जबकि एक खाता रहन मुक्ति नही होना चाहिऐ था जो कार्यवाही की गई है वह विधिनुसार सही है। अपीलान्ट जानबूझ कर राशि जमा कराने मे आनाकानी कर रहे है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि शाखा प्रबन्धक द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष इस आशय का पेश कर बताया गया कि अपीलान्ट के पिता द्वारा अपनी कृषि भूमि पर विभिन्न प्रकार के ऋण लिया जाकर अपनी खातेदारी बैंक रहन रखी गई थी जिसमे अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ऋणो की अदायगी नही की गई है। और बैंक को चुकाये बिना उक्त खाते मे बैक मे रहन रखी भूमि को दीगर बैंक मे रहन कर राशि हडपने के बाबत जानकारी की तो उनके द्वारा बैंक के पूर्व प्रबन्धक को उक्त ऋण पेटे

अदायगी करने और भूमि को रहन मुक्त करने से इन्कार कर दिया इस बाबत अपीलान्ट का दौराने बहस कथन है कि अपीलान्ट के पिता द्वारा जो ऋण बैंक से लिया गया था जो एन.पी.ए हो जाने के बाद पूर्व शाखा प्रबंन्धक एवं अपीलान्ट के मध्य सभी ऋणों को समझौता योजना के आधार पर एक मुश्त 4,000000/—रुपये चुकती कर लिया गया है जिसकी कमशः राशि 1,65,000/—रुपये पूर्व शाखा प्रबन्धक को घर पर एवं 2,35,000/—रुपये बैंक मे जमा कराने के बाद पूर्व शाखा प्रबन्ध द्वारा रहन मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिससे समस्त भूमि रहन मुक्त होने बाद अपीलान्ट ने पुनः कृषि करने के लिऐ रूपयो की आवश्यता होने पर अपनी कृषि भूमि पर विजया बैंक काचरौली से ऋण लिया गया है जहॉ पर वकील अपीलान्ट का कथन है कि ऋण चुकता कर दिया गया है। वहा पर शाखा प्रबन्धक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे यह जाहिर किया गया कि एक खाता चुकता नही किया गया है। जिसकी राशि अपीलान्ट पर बकाया थी वहा पर अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो मे कथन है कि घर पर 1,65,000/—रुपये जमा कराये गये थे उसकी रसीद पूर्व शाखा प्रबन्धक द्वारा नही दी गई इस बाबत अपीलान्ट ने बैंक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2018 थाना श्रीमाहवीरजी मे दर्ज कराई हुई है। जिससे जॉच जारी है। जिससे विदित हो रहा है कि अपीलान्ट एवं बैंक के मध्य खाता एन.पी.ए हो जाने पर ऋण राशि के सम्बन्ध मे एक मुश्त समझौता योजना के तहत कार्यवाही होना प्रतित हो रहा है किन्तु बैंक द्वारा अपीलान्ट एवं बैंक के मध्य हुये समझौता की प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नही की गई है। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर विधि परामर्शी जिला करौली से राय लेकर बिना ऋण धारी को / काश्तकार को सुने ही बैंक के प्रार्थना पत्र को ही आधार मानकर जो निर्णय दिनांक 31.12.2018 को दिया गया है जो विधि विरूद्व है क्योकि प्रथम दृष्टया तहसीलदार को बैंक द्वारा अपीलान्ट के पिता को दिया गया ऋण के सम्बन्ध मे सभी प्रकार के दस्तावेज एवं खाता एन.पी.ए हो जाने पर बैंक एवं अपीलान्ट के मध्य हुये समझौता आदि की प्रतिया ली जाकर सम्बन्धि खातेदार काश्तकार को विधि अनुसार सुनना चाहिऐ था किन्तु ऐसा नही करते हुये मात्र बैंक के प्रार्थना पत्र को सत्य मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई जो कानून गलत है। विधि परामर्शी द्वारा जो राय दी गई है। वह बैंक के आवेदन पत्र की दी है उसमे काश्तकार के सम्बन्ध मे कोई सुनवाई अथवा समझौता का विवरण अंकित नही किया गया है। हम अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार हिण्डौन का निर्णय दिनांक 31.12.2018 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीमहावीरजी से अपीलान्ट के पिता द्वारा ऋण लिये गये ततसमय के ऋण राशि एंव जमा राशि का ब्यौरा एवं एक मुश्त समझौता सम्बन्धित दस्तावेजो की प्रतिया तथा विजया बैंक शाखा से भी ऋण सम्बन्धि सभी दस्तावेज लेकर बैंक के शाखा प्रबन्धको के साथ अपीलान्ट को विधिवत सुना जाकर गुणावगुण के आधारा पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीमहावीरजी एवं शाखा प्रबन्धक विजया बैंक शाखा काचरौली को भिवजाई जावे। साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण का दो माह की अवधि मे निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ उनकी पत्रावली भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:31:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: